

भारतीय रेल
बनारस रेल इंजन कारखाना
वाराणसी

कार्यालय : महाप्रबंधक (का.)

पत्र सं.: म.प्र.(का.) /आ.आ./सितम्बर/22

दिनांक : 13.09.2022

सर्वसंबंधित,

ब.रे.का. वाराणसी तथा कोलकाता एवं सियालदाह डिपो तथा कैम्प आफिस दिल्ली,

संयुक्त सचिव एवं समस्त कर्मचारी परिषद सदस्य, जो.अध्यक्ष- एस. सी. / एस. टी.

एवं ओ.बी.सी. एसोसिएशन, वरि. आंकड़ा प्रबंधक:- कृपया निम्नलिखित रिक्त आवासों की सूची

को ब.रे.का. की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करवाये।

ब. रे. का. / वाराणसी।

विशेष प्रक्रिया के तहत ओपेन अप्शन के माध्यम से आवास समिति की बैठक की कार्यवृत्ति दिनांक 31.05.2022 के पैरा-3 के तहत ब.रे.का. में कार्यरत सभी कर्मचारी जिनके पास कोई रेलवे आवास नहीं है, वे विकल्प के आधार पर निम्नलिखित रिक्त आवासों हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस अप्शन में वर्णित आवासों को आवंटित करवाने हेतु इच्छुक कर्मचारी किसी भी टाइप में (अपनी पात्रता या उससे नीचे के टाइप हेतु) आवास का अप्शन भर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी पात्रता/वरीयता का साक्ष्य जाँच हेतु संलग्न करना अनिवार्य होगा।

खण्ड - क

टाइप-IV

क्र.सं.	कोड	आवास का प्रकार	रिक्त आवास	कुल
1.	41	प्रथमतल दो मंजिला	263/A	01

टाइप-III

2.	33	सिंगल स्टोरी नया	337/A, 388/B, 397/B,	03
3.	32	भूमि तल दो मंजिला	155/L, 807/D	02
4.	31	प्रथम तल दो मंजिला	506/C, 507/D, 520/C, 927/A	04

टाइप-II

5.	24	भूमि तल दो मंजिला स्टोर युक्त	556/F, 588/G, 589/G, 603/G, 609/F, 629/H, 631/G 635/E, 638/F, 688/H, 725/G, 729/H	12
6.	23	प्रथमतल दो मंजिला स्टोर युक्त	555/A, 568/B, 608/C, 609/A, 627/C 633/C, 642/C, 701/B, 728/C	09
7.	22	भूमितल बिना स्टोर युक्त	624/E, 901/H	02



टाइप-I

8.	14	भूमितल दो कमरा	648/I, 737/F, 748/G, 754/E, 755/G, 938/B, 938/C 939/B, 940/F, 943/A, 943/D, 944/C, 944/D, 959/E 959/F	15
9.	13	प्रथमतल दो कमरा	648/F, 649/C, 735/A, 735/D, 741/E, 743/E, 747/B 748/A, 751/A, 751/C, 752/D, 761/D, 762/B, 762/C 940/B, 940/C, 941/A, 958/A, 959/D	19
10.	12	भूमितल एक कमरा	139/L, 646/I, 646/K, 646/L, 659/H, 660/K, 662/K 665/J, 666/G, 667/G, 667/H, 680/K, 680/L, 681/H 681/K	15
11.	11	प्रथमतल एक कमरा	138/B, 142/C, 142/D, 143/D, 146/B, 146/C, 146/F 148/D, 149/C, 149/D, 150/C, 151/D, 645/A, 645/C, 645/E, 646/B, 646/C, 646/D, 646/E, 647/D, 647/E, 659/A, 659/B, 659/E, 660/C, 661/B, 661/C, 661/F, 662/A, 662/B, 662/C, 662/D, 662/E, 664/B, 664/D, 664/F, 664/H, 665/C, 665/D, 665/F, 666/C, 666/E, 667/B, 667/C, 667/D, 667/E, 668/A, 668/B, 668/C, 668/D, 668/F, 677/A, 677/F, 678/A, 678/B, 678/C, 678/E, 679/A, 679/C, 679/D, 680/C, 680/E, 680/F, 681/D, 681/E	65

योग - 147

खण्ड - ख

लेवल-1 के ऐसे पात्र कर्मचारी जिन्हें आवास आवंटित नहीं है, वे कर्मचारी निम्न टाइप-II के आवासों को आवंटन हेतु आवेदन कर सकते हैं।

टाइप-II

क्र.सं.	कोड	आवास का प्रकार	रिक्त आवास	कुल
12.	24	भूमि तल दो मंजिला स्टोर युक्त	685/G, 686/G	02
13.	23	प्रथमतल दो मंजिला स्टोर युक्त	606/C, 607/B, 628/B, 642/D, 684/B, 689/B 695/C, 696/C, 705/B, 719/C, 724/A	11
14.	22	भूमितल बिना स्टोर युक्त	624/F, 652/E, 652/F, 652/H, 670/G, 674/H 675/G, 903/I	08
15.	21	प्रथमतल बिना स्टोर युक्त	564/A, 564/C, 624/D, 625/D, 651/C, 670/C, 673/B, 674/D, 675/A, 902/F, 903/C, 903/E	12

योग - 33

नोट:- 1. उपरोक्त आवास आवंटन की सुविधा का लाभ ऐसे कर्मचारी ही उठा सकते हैं जिनके पास

21/9/22
13/9/22

कोई रेलवे आवास न हो और अधिसूचना जारी होने की तिथि को बरेका में कार्यभार ग्रहण कर लिये हो/प्रशिक्षण पूर्ण हो गया हो एवं स्थायी स्थिति प्राप्त कर लिये हों ।


2. लेवल-1 के कर्मचारी खण्ड "क" टाईप-1 आवास जिसके लिये वे सामान्यतया पात्र हैं, को भी भर सकते हैं।


आर. के. चौधरी)

वरि. कार्मिक अधिकारी/कर्मशाला

दिनांक : 13.09.2022

1. सभी कर्मचारी अपना विकल्प फार्म में पात्रता तिथि सही-2 भरें ।
 2. सभी कर्मचारी अपना फार्म भर कर अपने कार्यस्थल पर दिनांक **24.09.2022** तक अवश्य जमा करा कर उसकी रसीद (अधकटी) प्राप्त कर लें । उसके पश्चात संबंधित अनुभाग इन आवेदनों की सूची बनाकर (पावती की दो प्रति के साथ) आवास आवंटन अनुभाग को दिनांक **26.09.2022** को अवश्य बजे तक भेज दें ।
 3. रेल सेवा आचरण नियम-1966 की धारा के अंतर्गत उपकिरायेदारी एवं व्यापारिक कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाना गंभीर अपराध माना जाएगा एवं आकस्मिक जाँच के दौरान उप किरायेदारी पर पाये जाने के फलस्वरूप आवास निरस्त करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी ।
- नोट:-**
- (क) सीसेई (कार्य) - पूर्वी, पश्चिम एवं केंद्रीय को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आवासों की सूची जाँच लें । अगर इनमें से कोई आवास आवंटित है तथा रिक्त नहीं है तो इसकी सूचना आवास आवंटन अनुभाग को दिनांक **16.09.2022** तक लिखित रूप में दे दें, ताकि उन्हें आवंटित नहीं किया जाय । अगर दिनांक **16.09.2022** तक इस संबंध में लिखित सूचना नहीं प्राप्त होगा तो माना जाएगा कि सभी आवास रिक्त हैं तथा उनका आवंटन किया जा सकता है ।
- (ख) सीसेई (कार्य) - पूर्वी, पश्चिम एवं केंद्रीय और सीसेई-वि. कालोनी यह सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्त आवासों में अगर कोई मरम्मत अथवा सुधार कार्य आवश्यक है तो उसे दिनांक **30.09.2022** तक अवश्य पूर्ण कर लें ताकि आवंटित आदेश जारी होने के पश्चात कर्मचारियों को आवास अवधारण (रहने में) लेने में समय बर्बाद न हो ।
- (ग) यह आवंटन वरीयता के आधार पर किया जायेगा ।
- (घ) कर्मचारी अपना विकल्प फार्म में कितने भी आवासों के लिए आवेदन कर सकते हैं । यदि फार्म के प्रथम पृष्ठ पर सभी आवास नहीं आते हैं तो फार्म के पौछे वरीयता के आधार पर आवास भर सकते हैं ।
- (ङ) जो कर्मचारी अपना आवास कोड फॉर्म नहीं भरे हैं वो अपनी पात्रता के अनुसार जिस टाइप के आवास (टाइप- I, II, III एवं IV) भरना चाहते हैं उसके लिए फॉर्म के साथ अपना कोड फॉर्म आवश्यक भर कर आवास आवेदन के साथ संलग्न करे ।
- (च) ग्रुप 'डी' के कर्मचारी जो MACP के तहत रु. 1900/- ग्रेड पे पा रहे हैं, वे टाइप-II आवास के पात्र हैं । इसी प्रकार अन्य टाइप में भी MACP के तहत पात्रता का लाभ दिया जाएगा ।
- (छ) आवास आवंटन हेतु आप्शन फार्म (आवास की संख्या) की कोई सीमा नहीं है । कर्मचारी अपनी इच्छानुसार जितने भी आवासों हेतु आवेदन करना चाहते हैं, कर सकते हैं ।
- (ज) ऐसे कर्मचारी जो टाईप-1 की पात्रता रखते हैं, टाईप-II आवास के लिये आप्शन फार्म विशेष प्रक्रिया के तहत खण्ड 'ख' में वर्णित आवासों हेतु आप्शन भर सकते हैं । ध्यान रहे उनके पास कोई रेलवे आवास नहीं हो । (रेलवे बोर्ड का पत्र सं.:E(G)2019 QR 1-1 dt. 20.08.2019) Master Circular No. 49 (Revised)


कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)
13/9/22